

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 60/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. मदन लालानाथ सुनीता इन्द्रा पिता
लादूनाथ कालबेलिया निवासी
किशनपुरिया तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.06.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 857/206 रकबा 0.1619 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब/लिखित बहस पेश की गयी। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 857/206 रकबा 0.1619 हैक्ट.भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार




128
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन नियमानुसार हुआ है तथा गैर खातेदारी हक से दर्ज हुयी है किन्तु उक्त आराजियात को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने चाहिये थे। क्योंकि अप्रार्थी उक्त भूमि का कानूनी रूप से खातेदार हो चुका है, क्योंकि अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की है एवं नियमानुसार 10 वर्ष की अवधि पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने का प्रावधान व निर्देश है। अप्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त आवंटी का प्रारम्भ से ही है। आवंटी सद्भावी कृषक है। पटवारी हल्का द्वारा अपने कर्तव्यों की अधीन मौके पर आकर जिंसवारी नहीं की गयी एवं लगातार अकाल की स्थिति बनी रहने के कारण व पानी के अभाव में फसल भी नष्ट हुयी है। आवंटन के अत्यधिक लम्बी अवधि के उपरांत आवंटन के निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। भूमिधारी तहसीलदार स्वयं हैं और आवंटन कमेटी का सदस्य भी तहसीलदार होता है, जिसकी राय से भू आवंटन किया जाता है, इस कारण तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश करना विधि संगत नहीं है। नियमानुसार पुराने आवंटन निरस्तीकरण केवल त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक आदेश व गलत तथ्य प्रस्तुत कर तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या व्यपदेशन कर या आवंटन की पात्रता आवंटी को प्राप्त न होकर आवंटन करवाया गया हो, तब ही आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में आवंटन के त्रुटिपूर्ण या अवैधानिक होने के तथ्य को वर्णित नहीं किया गया है। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कराये जाने का आदेश कराया जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 857/206 रकबा 0.1619 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त विवेचन


अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

